



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12032026-270875
CG-DL-E-12032026-270875

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 11, 2026/फाल्गुन 20, 1947

No. 52]

NEW DELHI WEDNESDAY, MARCH 11, 2026/PHALGUNA 20, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
जांच शुरुआत अधिसूचना
नई दिल्ली, 11 मार्च, 2026
मामला सं. एडी (ओआई) - 04/2026

विषय: ताइवान से "फ्थैलिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

1. फा. सं. 6/04/2026-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) तथा समय-समय पर यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे 'नियमावली' कहा गया है), को ध्यान में रखते हुए, आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड(आईजीपीएल), थिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड (टीसीएल) तथा टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (टीसीएलआईपीएल) (जिन्हें आगे "आवेदक" कहा गया है) ने निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे 'प्राधिकारी' कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें ताइवान (जिसे आगे 'संबद्ध देश' कहा गया है) से "फ्थैलिक एनहाइड्राइड" के आयातों के संबंध में कथित पाटन की जांच आरंभ करने का अनुरोध किया गया है।

क. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

2. विचाराधीन उत्पाद "फ्थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन)", फ्थैलिक अम्ल का प्रमुख वाणिज्यिक रूप है।
3. फ्थैलिक एनहाइड्राइड एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र सीएएच4(सी0)20 है। यह फ्थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड है। फ्थैलिक एनहाइड्राइड (पीएएन) प्लास्टिक उद्योग में एक महत्वपूर्ण रासायनिक

मध्यवर्ती वस्तु है। इस उत्पाद के विभिन्न उपयोगों में प्लास्टिसाइज़र, पॉलिएस्टर रेज़िन, पेंट और लैकर में प्रयुक्त एल्काइड रेज़िन, पॉलिएस्टर पॉलीओल, रंग तथा पिगमेंट आदि शामिल हैं।

4. विचाराधीन उत्पाद का वर्गीकरण सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 29 के अंतर्गत उप-शीर्ष 2917 के अधीन किया गया है। विचाराधीन उत्पाद सामान्यतः 29173500 के अंतर्गत आयात किया जाता है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
5. इस विषय जांच में रुचि रखने वाले पक्ष अपनी टिप्पणियाँ PUC/PCN पद्धति पर, यदि कोई हो, इस जांच के आरंभ की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रदान कर सकते हैं।
6. विचाराधीन उत्पाद के लिए निर्धारित मापन की इकाई मीट्रिक टन (MT) या किलोग्राम (Kg) है।

ख. समान वस्तु

7. आवेदक ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से निर्यातित संबद्ध वस्तु के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तु इन विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं जैसे भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं, विनिर्माण प्रक्रिया एवं प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण एवं विपणन, वस्तुओं का टैरिफ वर्गीकरण। ये दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का उपयोग एक दूसरे के स्थान पर कर रहे हैं। अतः आवेदकों द्वारा उत्पादित उत्पाद को संबद्ध देश से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. संबद्ध देश

8. वर्तमान जांच ताइवान से विचाराधीन उत्पाद के कथित पाटन के संबंध में की जा रही है।

घ. जांच की अवधि

9. आवेदकों ने 1 अक्टूबर 2024 से 30 सितंबर 2025 (12 माह की अवधि) को जांच की अवधि के रूप में प्रस्तावित किया है, जो आवेदकों के निष्पादन की सबसे हाल की अवधि है। प्रस्तावित अवधि को उपयुक्त माना गया है। क्षति अवधि में वर्ष 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा प्रस्तावित जांच अवधि शामिल है।

ङ. घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

10. यह आवेदन आईजी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, थिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा टीसीएल इंटरमीडिएट्स प्राइवेट लिमिटेड (जो थिरुमलाई केमिकल इंडस्ट्रीज की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) द्वारा दायर किया गया है।
11. रिकॉर्ड में उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आवेदकों ने संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है और न ही वे संबद्ध देश में विचाराधीन उत्पाद के किसी उत्पादक/निर्यातक या भारत में किसी आयातक से संबंधित हैं।
12. इसके दृष्टिगत और रिकॉर्ड पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर, प्राधिकरण यह सुनिश्चित करता है कि आवेदक नियम 2(b) के अर्थ में घरेलू उद्योग का निर्माण करते हैं। आवेदन नियम 5(3) के संदर्भ में स्थायी होने की आवश्यकताओं को पूरा करता है।

च. कथित पाटन का आधार

क. सामान्य मूल्य

13. पाटनरोधी नियमावली, 1995 के अनुबंध-1 के साथ पठित धारा 9क (1)(ग) के अंतर्गत, निर्यातक देश में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए निम्नलिखित आधार हो सकते हैं: -

- क. व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में निर्यातक देश के घरेलू बाजार में समान वस्तु की कीमत,
- ख. जब समान वस्तु को निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात की जाती है, तो उसकी तुलनीय प्रतिनिधि कीमत,
- ग. मूलता के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत, जिसमें प्रशासनिक, बिक्री एवं सामान्य लागत तथा लाभ के लिए उचित राशि जोड़ी गई हो।

14. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि उन्होंने ताइवान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों के संबंध में जानकारी/साक्ष्य प्राप्त करने के प्रयास किए। तथापि, ताइवान के घरेलू बाजार में संबद्ध वस्तु की कीमतों से संबंधित साक्ष्य सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं हैं।
15. आवेदकों ने उत्पादन की लागत के अनुमान पर सामान्य मूल्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें मार्जिन के लिए उचित जोड़ शामिल है। सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए आवेदकों द्वारा प्रस्तावित कार्यप्रणाली पर विचार किया गया है।

ख. निर्यात कीमत

16. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम के आकड़ों में सूचित की गई विचाराधीन उत्पाद के सीआईएफ कीमत को ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसमें समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, हैंडलिंग प्रभार, पत्तन व्यय, अंतर्देशीय परिवहन व्यय, कमीशन, ऋण लागत तथा बैंक प्रभार के लिए समायोजन किए गए हैं।

ग. पाटन मार्जिन

17. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की तुलना कारखाना-द्वार स्तर पर की गई है, जिससे प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि पाटन मार्जिन निर्धारित न्यूनतम स्तर से अधिक है तथा संबद्ध देश से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के संबंध में काफी अधिक है। अतः इस बात के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में विचाराधीन उत्पाद का पाटन किया जा रहा है।

घ. क्षति तथा कारण संबंध

18. आवेदकों ने घरेलू उद्योग को डंप किए गए आयातों के कारण हुई चोट के संदर्भ में प्राथमिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। संदर्भ देश से संबंधित आयातों की मात्रा दोनों, अर्थात् कुल और सापेक्ष रूप से बढ़ी है। आयातों के कारण मूल्य में कटौती और मूल्य गिरावट के साक्ष्य हैं। डंप किए गए आयातों में वृद्धि के साथ, आवेदकों का उत्पादन और बिक्री घट गई है। चोट के अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग दर घट गई है, और घरेलू उद्योग काफी खाली क्षमताओं के साथ संचालित हो रहा है। घरेलू आवेदकों के पास भंडारण में तेजी से वृद्धि हुई है। आवेदकों का बाजार हिस्सेदारी कम हुई है, जबकि संबंधित देशों की बाजार हिस्सेदारी बढ़ी है। संबंधित आयातों का घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
19. उपर्युक्त के आधार पर प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि ताइवान के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के संबंध में पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति तथा कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अतः नियमावली के नियम 5 के प्रावधानों के अनुसार पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने को उचित ठहराने हेतु पर्याप्त आधार मौजूद है, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

ज. जांच की शुरुआत

20. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत विधिवत रूप से साक्ष्यांकित आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति को प्रमाणित करते हुए प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्यों/आधार पर संतुष्ट होने के पश्चात, प्राधिकारी एतद्वारा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार, कथित पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी वास्तविक क्षति के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हैं, ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा तथा प्रभाव का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश की जा सके, जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

21. इस जांच में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 में निर्धारित प्रावधानों का पालन किया जाएगा।

ञ. सूचना प्रस्तुत करना

22. सभी हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) पर स्वयं का पंजीकरण करना आवश्यक है। हितबद्ध पक्षकारों द्वारा सभी पत्र एवं अनुरोध सेतु पोर्टल पर उनके पंजीकृत नाम एवं संबंधित मामला आईडी-एडी/ओआई/005/2026 के अंतर्गत अपलोड किए जाएंगे। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक हिस्सा पीडीएफ/एमएस-वर्ड फॉर्मेट और आकड़ों की फाइल एमएस-एक्सेल फॉर्मेट में खोजे जाने योग्य हो।

23. संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत में स्थित उसके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकार, तथा भारत में विचाराधीन उत्पाद से संबंधित समझे जाने वाले ज्ञात आयातकों एवं प्रयोक्ताओं को पृथक रूप से सूचित किया जा रहा है ताकि वे इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समय-सीमा के भीतर निर्धारित ढंग और प्रपत्र में समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। ऐसी समस्त सूचना इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित ढंग और तरीके से प्रस्तुत की जानी चाहिए।
24. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी इस जाँच शुरूआत अधिसूचना दी गई समय सीमा के भीतर इस जाँच शुरूआत अधिसूचना, नियमावली और प्राधिकारी द्वारा जारी लागू व्यापार सूचनाओं में यथा विहित विहित ढंग और तरीके से जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।
25. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए उसका अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह भी सलाह दी जाती है कि वे इस जाँच से संबंधित किसी भी अद्यतन सूचना के लिए व्यापार उपचार महानिदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट www.dgtr.gov.in तथा सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in/>) का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। हितबद्ध पक्षकारों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे संबद्ध जाँच से संबंधित आगामी प्रगति की जानकारी प्राप्त करने हेतु डीजीटीआर की वेबसाइट www.dgtr.gov.in को नियमित रूप से देखते रहें तथा प्रश्नावली प्रारूप, पीसीएन पद्धति, पीसीएन चर्चा/बैठक कार्यक्रम, मौखिक सुनवाई की सूचना, प्रकटन, शुद्धिपत्र, संशोधन अधिसूचनाओं तथा अन्य संबंधित सूचनाओं के बारे में समय-समय पर जारी किए जाने वाले नोटिसों से अवगत रहें।

ट. समय-सीमा

27. वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना सेतु पोर्टल (<https://setu.dgtr.gov.in>) पर उनके पंजीकृत नाम से और संगत मामला आईडी एडी/ओआई/005/2026 के अंतर्गत अपलोड की जानी चाहिए। प्रत्येक अनुरोध के दोनों संस्करण, अर्थात् गोपनीय संस्करण (सीवी) तथा अगोपनीय संस्करण (एनसीवी), घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन के अगोपनीय संस्करण को प्राधिकारी द्वारा परिचालित किए जाने अथवा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6(4) के अनुसार निर्यातक देश के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तिथि से 37 दिनों के भीतर संबंधित निर्धारित कालों में अपलोड किए जाने अनिवार्य हैं। यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अपूर्ण पाई जाती है, तो प्राधिकारी रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर तथा पाटनरोधी नियमावली, 1995 के प्रावधानों के अनुरूप अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
28. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा यह सलाह दी जाती है कि वे वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) से अवगत कराएं और इस अधिसूचना में यथा निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का अपना उत्तर केवल सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करें।
29. पीयूसी/पीसीएन पद्धति के दायरे संबंधी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने हेतु 15 दिनों की अवधि, इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में उपर्युक्त पैरा 27 में उल्लिखित समय-सीमा के साथ-साथ चलेगी।
30. पीयूसी/पीसीएन में संशोधन के कारण समय-विस्तार: यदि प्राधिकारी किसी उत्तरवर्ती सूचना के माध्यम से पीयूसी तथा पीसीएन में ऐसा संशोधन करते हैं, जो पूर्व में प्रस्तावित नहीं था अथवा जो जाँच शुरूआत अधिसूचना से अलग है, तो 15 दिनों का समय-विस्तार प्रदान किया जाएगा। यह 15 दिनों का समय विस्तार संशोधित पीयूसी तथा पीसीएन की अधिसूचना की तारीख से प्रदान किया जाएगा। इस पैराग्राफ में उल्लिखित 15 दिनों का समय-विस्तार उन मामलों में लागू नहीं होगा, जहाँ जाँच प्रारंभ होने के पश्चात पीयूसी तथा पीसीएन पद्धति में कोई परिवर्तन नहीं किया गया हो। 15 दिनों के उक्त समय-विस्तार (यदि प्रदान किया गया हो) से अतिरिक्त किसी और समय-विस्तार का अनुरोध पाटनरोधी नियमावली के नियम 7(4) के अनुरूप आपवादिक परिस्थितियों को छोड़कर, सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाएगा।
31. समय बढ़ाने का कोई भी अनुरोध संबंधित पक्षकारों द्वारा उक्त पैराग्राफ 27 में उल्लिखित मूल समय-सीमा से कम से कम एक दिन पहले सेतु पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस समय-सीमा के बाद प्रस्तुत अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

32. वर्तमान जाँच में यदि कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध प्रस्तुत करता है या गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को एडी नियमावली के नियम 7(2) के अनुसार और इस संबंध

- में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचनाओं के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसका पालन नहीं करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है।
33. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उनमें संलग्न परिशिष्टों/अनुबंधों सहित) करने वाले पक्षकारों को गोपनीय और अगोपनीय अनुरोध अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।
 34. ऐसे अनुरोधों पर प्रत्येक पृष्ठ पर स्पष्ट रूप से "गोपनीय" या "अगोपनीय" अंकित किया जाना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्राधिकारी के समक्ष किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा "अगोपनीय" सूचना माना जाएगा, और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
 35. गोपनीय अंश में ऐसी समस्त जानकारी शामिल होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है, और/या अन्य जानकारी, जिसके बारे में ऐसी जानकारी का प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। ऐसी जानकारी के लिए, जिसके स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा किया गया है, या जिस जानकारी की गोपनीयता का दावा अन्य कारणों से किया गया है, वहां सूचना के प्रदाता को प्रदान की गई जानकारी के साथ एक उचित कारण का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा कि ऐसी जानकारी का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
 36. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना के अगोपनीय अंश को गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई सूचना (जहाँ सूचीबद्ध करना संभव न हो) के गोपनीय अंश की अनुकृति होना अपेक्षित है। ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से सारांशीकृत किया जाना चाहिए जिसके संबंध में गोपनीयता का दावा किया गया है।
 37. अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए जिससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय-वस्तु को उचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार प्राधिकारी की संतुष्टि के आधार पर नियमावली, 1995 के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचनाओं के अनुसार पर्याप्त और समुचित स्पष्टीकरण सहित ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांशीकरण क्यों संभव नहीं है।
 38. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय अंश के परिचालन की तारीख से 7 दिनों के भीतर घरेलू उद्योग द्वारा दावा की गई गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं।
 39. प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध आवश्यक नहीं है या यदि सूचना प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्यीकृत या सारांश रूप में इसके प्रकटन को अधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है, तो वह ऐसी सूचना को अनदेखी कर सकते हैं।
 40. गोपनीयता के दावे के संबंध में नियमावली के नियम 8 और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना के अनुसार, उसके सार्थक अगोपनीय अंश या पर्याप्त एवं उचित कारणों के विवरण के बिना प्रस्तुत किए गए किसी भी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।
 41. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार करने लेने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

42. किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा किए गए अनुरोधों के सभी अगोपनीय अंश अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सेतु पोर्टल में उनके संबंधित लागिन के माध्यम से उपलब्ध रहेंगे।

ढ. असहयोग

43. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर या प्राधिकारी द्वारा इस जाँच शुरूआत अधिसूचना में निर्धारित समय-अवधि या किसी अलग पत्र द्वारा प्रदत्त समय विस्तार के भीतर आवश्यक जानकारी देने से मना करता है या अन्यथा उसे उपलब्ध नहीं कराता है, या जाँच में अत्यधिक बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केंद्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Directorate General of Trade Remedies)****TERMINATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th March, 2026

Case No. AD(OI) – 04/2026

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Phthalic Anhydride” from Taiwan.

1. **F. No. 6/04/2026 – DGTR.**—Having regards to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter referred as the 'Act') and the Customs Tariff (Identification, Assessment, and Collection of Anti-dumping Duty Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter referred to as the 'Rules') IG Petrochemicals Limited (IGPL), Thirumalai Chemical Industries Limited (TCL) and TCL Intermediates Private Limited (TCL IPL) (hereinafter referred to as the “applicants”), have filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the ‘Authority’), for initiation of anti-dumping duty investigation concerning imports of “Phthalic Anhydride” from Taiwan (hereinafter referred to as the ‘subject country’).

A. Product Under Consideration (PUC)

2. The product under consideration is “Phthalic Anhydride (PAN)” the principal commercial form of Phthalic Acid.
3. Phthalic anhydride is the organic compound with the formula $C_{10}H_6O_4$. It is the anhydride of phthalic acid. Phthalic Anhydride (PAN) is an important chemical intermediate in plastic industry. Various uses of the product include plasticizers, polyester resins, alkyd resins used in paints and lacquers, polyester polyols, dyes and pigments etc.
4. The product under consideration is classified under Chapter 29 of the Customs Tariff Act, 1975 under sub-heading 2917. The product under consideration is imported under 29173500. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.
5. The interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.
6. The prescribed unit of measurement for the product under consideration is Metric Tons (MT) or Kilogram (Kg).

B. Like Article

7. The applicants have claimed that there is no significant difference in the subject goods produced by the applicants and exported from the subject country. Subject goods produced by the applicants and imported from the subject country are comparable in terms of characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable. The consumers are using the two interchangeably. The product produced by the applicants are like article to the product being imported from the subject country.

C. Subject Country

8. The present investigation is in respect of alleged dumping of the PUC from Taiwan.

D. Period of Investigation

9. The applicants have proposed the period between 1st October 2024 to 30th September 2025 (a period of 12 months) as POI, which is the most recent period of applicant’s performance. The period proposed has been considered appropriate. The injury period covers the period of 2022-23, 2023-24, 2024-25, and the period of investigation.

E. Domestic Industry and Standing

10. The application has been filed by IG Petrochemicals Limited, Thirumalai Chemical Industries Limited and TCL Intermediates Private Limited (a 100% owned subsidiary of Thirumalai Chemical Industries).
11. As per the information available on record, the applicants have not imported the product under consideration from the subject country nor is related to any producer/exporter of the product under consideration in the subject countries or to any importer in India.

12. In view of the same, and based on information available on record, the Authority is satisfied that the applicants constitute domestic industry within the meaning of Rule 2(b). The application satisfies the requirements of standing in terms of Rule 5(3).

F. BASIS OF ALLEGED DUMPING

a. Normal Value

13. Under Section 9A (1)(c), read with Annexure 1 to the Anti-Dumping Rules 1995, the following can form the basis for the determination of normal value in the exporting country: -
- The price of the like article in the domestic market of the exporting country in the ordinary course of trade,
 - Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country,
 - The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling & general costs and for profits.
14. The applicants have submitted that they made efforts to get information/evidence for prices of the subject goods in the domestic market of Taiwan. However, the evidence of prices of subject goods in the domestic market of Taiwan is not available in the public domain.
15. The applicants have proposed to determine normal value on the estimates of cost of production with reasonable addition for margins. The methodology proposed by the applicants has been considered for the determination of normal value. .

b. Export Price

16. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG System data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, handling charges, port expenses, inland charges, commission, credit cost and bank charges.

c. Dumping Margin

17. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which *prima facie* shows that the dumping margin is above the de-minimis level and is significant with respect to the product under consideration exported from the subject country. Thus, there is *prima facie* evidence that the product under consideration from the subject country is being dumped in the Indian market by the exporters from the subject country.

G. Injury and causal Link

18. The applicants have provided *prima facie* evidence with respect to the injury suffered by the domestic industry due to the dumped imports. The volume of the subject imports from the subject country has increased in both absolute as well as relative terms. There is evidence of price undercutting and price depression due to imports. With the increase in dumped imports, the production and sales of the applicants have declined. The capacity utilisation of the domestic industry has declined during the injury period, and the domestic industry is operating with considerable idle capacities. The inventories with the domestic applicants have increased sharply. The applicants market share has declined whereas that of the subject countries has increased. The subject imports have had an adverse impact on the profitability parameters of the domestic industry.
19. From the foregoing, the Authority *prima facie* finds sufficient evidence of dumping of the subject goods originating in or exported from Taiwan, injury to the domestic industry and causal link between the alleged dumping and injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation in terms of Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove injury to the domestic industry.

H. Initiation of the Investigation

20. On the basis of the duly substantiated application by the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of / *prima facie* evidence submitted by the applicants substantiating the dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority hereby initiates an anti-dumping investigation into the alleged dumping and consequent material injury to the domestic industry in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, to determine the existence, degree, and effect of alleged dumping and to recommend the amount of dumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. PROCEDURE

21. The provisions stipulated in Rule 6 of the Anti-Dumping Rules shall be followed in this investigation.

J. Submission of Information

22. All the interested parties are required to register themselves on SETU Portal (<https://setu.dgtr.gov.in>). All communications and submissions from the interested parties shall be uploaded on the SETU portal under their registered name and corresponding case AD/OI/005/2026. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/MS-Word format and data files are in MS-Excel format.
23. The known producers/exporters in subject country, the government of subject country through its Embassy in India, and the importers and users in India who are known to be associated with the product under consideration are being informed separately to enable them to file all the relevant information within the time limits mentioned in this initiation notification. All such information must be filed in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority.
24. Any other interested party may also make a submission relevant to the present investigation in the form and manner as prescribed by this initiation notification, the Rules, and the applicable trade notices issued by the Authority within the time limits mentioned in this initiation notification.
25. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
26. The interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Directorate General of Trade Remedies at www.dgtr.gov.in and SETU portal(<https://setu.dgtr.gov.in>) for any updated information with respect to this investigation. Interested parties are directed to regularly visit the website of DGTR (<https://www.dgtr.gov.in/>) to stay apprised with the further developments in the subject investigation and remain informed regarding notices that may be issued from time to time regarding questionnaire formats, PCN methodology, PCN discussion/meeting schedule, notice of oral hearing, corrigendum, amendment notifications, and other such information.

K. Time Limit

27. Any information relating to the present investigation should be uploaded on the SETU portal (<https://setu.dgtr.gov.in>) under their registered name and corresponding case AD/OI/005/2026. Both versions of each submission, the confidential version (CV) and the non-confidential version (NCV) must be uploaded in the respective designated columns within 37 days from the date on which the nonconfidential version of the application filed by the domestic industry would be circulated by the Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country as per Rule 6(4) of the AD Rules, 1995. If no information is received within the stipulated time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings based on the facts available on record and in accordance with the AD Rules, 1995.
28. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit as stipulated in this notification through SETU portal only.
29. The 15 day period to file comments on the scope of PUC/PCN Methodology shall run concurrently with the time limit mentioned in para 27 above of this initiation Notification.
30. Extension due to Modification of PUC/PCN: An extension of time by 15 days shall be granted if the Authority, through a subsequent notice, modifies the PUC, and PCN that was not previously proposed or is different from the initiation notification. This extension of 15 days shall be granted from date of such notification of modified PUC and PCN. Extension of time by 15 days stated in this paragraph is not applicable in instances where there is no change in the PUC, and PCN methodology after initiation of investigation. Requests for a further extension of time, beyond the 15-day extension (if granted), will ordinarily not be considered except in case of exceptional circumstances, in line with the Rule 7(4) of the AD Rules.
31. Any request for an extension must be submitted by the concerned parties through the SETU portal at least one day before the original deadline specified in paragraph 27 above. Requests submitted after this time will not be considered.

L. Submission of Information on Confidential Basis

32. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the AD Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response/submissions.
33. The parties making any submission (including Appendices/ Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire responses, are required to file confidential and non-confidential versions separately.

34. Such submissions must be clearly marked as “confidential” or “non-confidential” at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as “non- confidential” information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.
35. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
36. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
37. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 8 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
38. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality claimed by the domestic industry within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
39. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
40. Any submission made without a meaningful non-confidential version there of or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 8 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
41. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

M. Inspection of public file.

42. All non-confidential versions of submissions made by any interested party will be accessible to other interested parties through their respective login on the SETU portal.

N. Non-Cooperation

43. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification or subsequent time period provided through separate communication, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

AMITABH KUMAR, Designated Authority